कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड,
लो0नि0वि0,कर्णप्रयाग

मेल : eepmgsykaranprayag2@rediffmail.com Phon,Fax 01363244101

पत्रांक 865 /24सी/ पी.एम.जी.एस.वाई./2020–21 दिनांक 26/04/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली–चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.118 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः— वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 342/X–4–5/1(163)/2015 दिनांक 22.05.2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक 3187/FP/UK/ROAD/10355/2015।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित व इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन भारत सरकार वन एवं परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्र सं0 342/ग–4–5/1(163)/2015 दिनांक 22.05.2015 द्वारा सैध्दान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, सैध्दान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से आपके कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

बिन्दु संख्या 1:— शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.236 है0 चूला गबनी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 605748.00 मात्र प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 2:— शर्त संख्या 2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न योजना के अनुसार देय धनराशि रू0 1455000.00 मात्र प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु संख्या 3:— शर्त संख्या 3 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 2089938.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गयी है।

बिन्दु संख्या 4:— शर्त संख्या 1,2 व 3 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार देय धनराशि को RTGS के माध्यम से Campensatiary Assorestation fund CAF Uttranchal SB/Ac No 037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा नई दिल्ली में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कॉरपोरेशन बैंक द्वारा जारी पत्र/ जमा करायी गयी धनराशि का सत्यापित चैक द्वारा चैक संख्या 058221 दिनांक 09.06.2015 को जमा कर दी गयी है।

बिन्दु संख्या 5:— शर्त संख्या 5 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Planatation की जायेगी।

बिन्दु संख्या 6:— शर्त संख्या 6 State Govt–Will Submit tha Proceedings of tha VLC for villge Uploaded at Para K of Online Part –1

बिन्दु संख्या 7:— शर्त संख्या 7 State Govt–Will Provide tha Original Hard Copy of FRA Certificate Which Has Been Uploaded at Para K&Online Part–1

23.04.21
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0/2020–21 तददिनांक

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,इन्दरानगर फोरेस्ट कलोनी, देहरादून। को सूचनार्थ प्रेषित

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड,
लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक 3461/FP/UK/ROAD/10355/2015 देहरादून दिनांक 29 मई, 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद–चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली–चूला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.118 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 342/X-4-15/1(163)/2015 दिनांक 22–05–2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जिसकी प्रति अन्यों सहित आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. शासन की शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.236 हे0 चूला–गवनी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 6,05,748.00 (रू0 छः लाख पांच हजार सात सौ अड़तालीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

1.1 शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित चूला–गवनी सिविल सोयम भूमि, जिनका कुल क्षेत्रफल 4.236 हे0 है, को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा व इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मय अभिलेख इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण–पत्र भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न योजना के अनुसार देय धनराशि रू0 14,55,000.00 (रू0 चौदह लाख पचपन हजार) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के अनुसार एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 20,98,938.00 (रू0 बीस लाख अठानब्बे हजार नौ सौ अड़तीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

4. शर्त संख्या–1, 2 व 3 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/c No.037100101025229 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें। RTGS हेतु कॉरपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371,MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कॉरपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कॉरपोरेशन बैंक द्वारा जारी पत्र/जमा कराई गयी

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. P.W.D.
P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

धनराशि का सम्बन्धित बैंक द्वारा यू0टी0आर0 नम्बर एवं दिनांक भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित की जा सके।

अतः शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि संदर्भित पत्र में अधिरोपित सभी शर्तों की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नः—यथोपरि

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/10355/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, जनपद—चमोली।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर। (संलग्न—यथोपरि)
5. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड़, देहरादून। (संलग्न—यथोपरि)

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y., P.W.D
P.W.D Karanprayag (Chamoli)

//आदेश//

जनपद चमोली में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूला मोटर मार्ग हेतु 2.118 है0 भूमि के बदले पूर्व में दोगनी भूमि 4.236 है0 सिविल भूमि का वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के अधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली चूल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वली हेतु 2.118 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम चूला तहसील कर्णप्रयाग के नान जेड0ए0 के खसरा नं0–38 बंजर भूमि मध्ये 0.472 एवं खसरा नं0–02 रौली मध्ये 1.882 है0 कुल 2.354 है0 एवं ग्राम गवनी तहसील थराली के नान जेड0ए0 खसरा नं0–932 में 1.882 है0 भूमि सिविल सोयन भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या– 2173/XVII(II) 2012-18(120)/2010 दिनांक, 17 दिसम्बर, 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

05/11/15

जिलाधिकारी,
चमोली।

YEAR (2015-16)
... XXVI–6
... 1189
DATE 6-11-2015

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या– 680/छब्बीस–6 (2015–2016) दिनांक, 6 नवम्बर, 2015.

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. उप जिलाधिकार, थराली/कर्णप्रयाग/तहसीलदार/थराली/कर्णप्राग।
6. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
7. अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

05/11/15

जिलाधिकारी,
चमोली।

Photocopy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. P.W.D
P.W.D. Karnprayag (Chamoli)

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण
प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,
आई०टी० पार्क के सामने, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
दूरभाष :– 0135–2600125 फैक्स :– 2608126 ई–मेल :–urrda@yahoo.com

पत्रांक 617 /आई–3–20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनांक 10 जून 2015

सेवा मे,
शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011091939 से कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली के खाता सं0–037100101025229, में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार चैक सं0–058221 दिनांक 09.06.2015 धनराशि रु0 41,59,868.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/Ac No 037100101025229 कारपोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली को करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:-	Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand
Name of Bank:-	Corporation Bank
Address:-	Lodhi Road Branch New Delhi
IFC Code:-	CORP0000371
A/C No:-	037100101025229
MICR Code	110017007
Branch code	00371

क्र०सं०	पैकेज	सड़क का नाम	जनपद	देय धनराशि				
				क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन०पी०वी०	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलबा निस्तारण	योग
1		बगोली–चूला मोटर मार्ग	चमोली	605748.00	2089938.00	1455000.00		4150686.00

संलग्नक–उक्त चैक

अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
1 नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), कर्णप्रयाग ।

अधिशासी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

ORBC 1516 3033512
RTGS dt 12/6/15
ch. dt 10/6/15
ch. No – 58221
Rs 4159186

Photocopy attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y Div. P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

ना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 7.275 कि0मी0 तक।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण – पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र –

मै कमला देवी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत चूला यह प्रमाणित करती हूँ कि दिनांक 21/07/12 से 22/07/12 तक पी०एम०जी०एस०वाई० विभाग द्वारा बगोली से अवनी तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली कर्णप्रयाग तक सर्वेक्षण किया गया जिसपर समस्त ग्राम वासियों को किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

ग्राम वासियों को भूमि के बदले जो भी मुआवजा जिस दर से दिया जायेगा, ग्राम वासियों को इसमे कोई आपत्ति नही होगी।

भवदीय –

[signatures]

कमला देवी
दि 24-8-2012

जवाहर सिंह रावत
बालम सिंह
अंजना देवी
कमला देवी
जीत सिंह
जीता देवी
गोविन्द सिंह
राजेश्वरी देवी
कुसमा देवी
नरेन्द्र सिंह
नरवदा देवी
राजपाल सिंह
रिवत सिंह
देव सिंह
सुशीला
कुलदीप सिंह

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. P.W.D.
P.W.D. Karanprayag (Chamoli)

प्रस्ताव का नाम – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बैंगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 7.275 कि0मी0 तक।

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रा0अ0वि0 सेवा खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
ग्रा0अ0वि0 सेवा खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
ग्रा0अ0वि0 सेवा खण्ड
पी0एम0जी0एस0वाई
कर्णप्रयाग

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Dn. P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत, जनपद–चमोली, विकासखण्ड–गैरसैंण, नारायणबगड़ बंगोली – चूला मोटर मार्ग के समरेखण पर भूवैज्ञानिक निरीक्षण आख्या।

रिर्पोट सन्दर्भः– पी0एम0जी0एस0वाई0, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कर्णप्रयाग के अधीन बंगोली – चूला मोटर रोड का निर्माण किया जाना है, प्रदेश की ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण की सलाहकार एजेन्सी, टैक्नीकल कन्सलटैन्सी सर्विसेज, 14–सी अरावली एन्क्लेव, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित सड़क का भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दोरान टी0सी0एस0 के साईट प्रतिनिधि श्री मनोज आर्य भी उपस्थित थे।

जनपद चमोली, गैरसैण–विकासखण्ड के बंगोली – चूला मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया था, दोनो समरेखणो का तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन करने पर समरेखण 1 (मानचित्र संलग्न) को उपयुक्त पाया गया है। समरेखण 1 के साथ ज्यादातर ग्रामवासी / समुदाय भी सहमत है। समरेखण 1 जोकि कर्णप्रयाग सिरी–कोटी मोटर मार्ग के 4 वे किमी0 से प्रारम्भ होता है। अन्य तथ्य सही होने पर नियमानुसार समरेखण 1 का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किया गया इसी परपेक्ष में रिर्पोट तैयार की गयी है जिससे प्रमुख हैजर्टस को समझते हुये प्रास्तावित सड़क के कन्स्ट्रक्शन प्लान को सुगम बनाया जा सके।

प्रस्तावित एलाईमेन्ट क्षेत्र रिजनली Almora Group of Rocks के अन्तर्गत आता है। रिजनली पूरा क्षेत्र North Almora Thrust व South Almora Thrust के अन्तर्गत रखा गया है। भूभाग भूगर्भीय दृष्टि से मेनसेंन्ट्रल थ्रस्ट के भी निकट है। स्थानीय रूप से प्रमुख चट्टाने garnetiferous mica-schist, micaceous quarzites, augen gneisses, schistose phyllite, carbonaceous और कही कही पर अल्टरनेटिंग रिथमिक बैन्ड्स ऑफ फाइन ग्रेंण्ड माइका भी देखने में आया है। फेसीज का बदलाव व संरचनात्मक बदलाव पूरे समरेखणों में देखने में आता है। स्थानीय रूप से देखने में आया है कि स्लोप प्रोफाईल मुख्य रूप से मध्यम है परन्तु कही कही पर तीष्ण ढाल भी देखने में आते है। स्थानीय चट्टान की स्ट्रेन्थ का अनुमान 50 से 100 MPa व अवसाधन न्यून्तम W1 से W2 ग्रेड का पाया जाता है। सामान्यतः 3 व कहीं कही पर 4 से 5 सेट ऑफ डिसकन्ट्यूनिटी पेटर्न भी पाया जाता है पूरे समरेखण के अन्तर्गत ओवर बर्डन समान्यतः मिलता है जो कही ज्यादा व कही बहुत पतला है। कही कही पर न्यून स्तर पर भूक्षरण भी देखने में आया है जोकि उचित ड्रेनेज देकर आसानी से रोका जा सकता है क्षेत्र के प्रमुख हेजट्र्स में भूकम्प, भूक्षरण एवं इन दोनो प्रमुख हेजर्ट्स से सम्बन्धित मल्टीपल हेजट्र्स है।

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. P.W.D.
P.W.D. Karnaprayag (Chamoli)

समरेखण उपयुकता स्टेटमेन्ट

उपरोक्त भूवैज्ञानिक तथ्यों एवं समुदाय की आवश्यकता को देखतें हुये, समरेखण 1 प्रस्तावित ल0 किमी0 13.125, बंगोली–चूला मोटर मार्ग, संलग्न मानचित्रानुसार , विकासखण्ड– गैरसैंण, जनपद चमोली को Conditionally Feasible दिया जा सकता ह बशते अगले पैराग्राफ में दी गयी सलाहों का सड़क निर्माण में ध्यान दिया जाये। (समरेखण, संलग्न मैप में अंकित)

प्रमुख सलाहें

1. हेयर पिन बैण्डों को मानकों के अनुसार वर proper drainage arrangement व प्रोपर सुरक्षा दिवाल के अनुसार बनाया जाय।
2. वर्षा के पानी का local springs discharge water के समुचित निकासी हेतु रोड साइड ड्रेन स्कपर, काजवे, कल्वर्ट आदि का निर्माण किय जाय।
3. क्षेत्र की भूकम्पीय स्थिति को ध्यान रखते हूये construction plan तैयार किया जाय।
4. हिल साईड में ड्रेन को extra wide बनाना चाहिये, जिससे कि अपहिल साईड से आने वाला पानी रोड पर और down side the slope/wall of the road पर ना आ सकें।
5. हिमालय की प्राकृतिक आपदाओं व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीनता को देखते हुये शैल कटान के वक्त जहॉ आवश्यक हो नियन्त्रित ब्लास्टिंग की जाय। अन्यथा मैनुअली कटिंग की जाय।
6. उपरोक्त के अतिरिक्त आई0आर0सी0/आई0एस0कोड0 में जो हिमालय में सड़क निर्माण कके लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये है, को भी संज्ञान मे लिया जा सकता है।
7. मोटर रोड हाफ कट एवं हाफ फिल टैक्निक, यदि जोन ज्यादा संवेदनशील होने पर बनाया जा सकता है, लेकिन फिलिंग मैटीरियल की मजबूती की तरफ ध्यान देना आवश्यक है।
8. कटिंग के दौरान निकले हुए मैटीरियल को पूर्व निर्धारित dump yard में डालना चाहिये, लोवर स्लोप में फेंकने से भूक्षरण्र की समस्या उत्पन्न हो सकती है। (Muck disposal plan होना चाहियें)।
9. ज़हॉ तक सम्भव हो बी0आई0एस0 के Hill area development के कोड को फौलो किया जाना चाहिए।

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karnprayag (Chamoli)

Assistant Engineer
PMGSY, PWD
Karnprayag (Chamoli)

Bhuwan Joshi
Empanelled Geologist
FRBM ... Uttarakhand
... Bureau of Mines
Registration No RQP/DDN/...
Govt of India

का नाम : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में बैंगोली से पूला तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 7.275 कि0मी0 तक।

भू–वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

	सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
कनिष्ठ अभियन्ता ग्रा0अभि0 सेवा खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता ग्रा0अभि0 सेवा खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता ग्रा0अभि0 सेवा खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. PIU
Karnaprayag (Chamoli)

डिजिटल मैप – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैण विकास खण्ड मे बेंगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 7.275 कि0मी0 तक

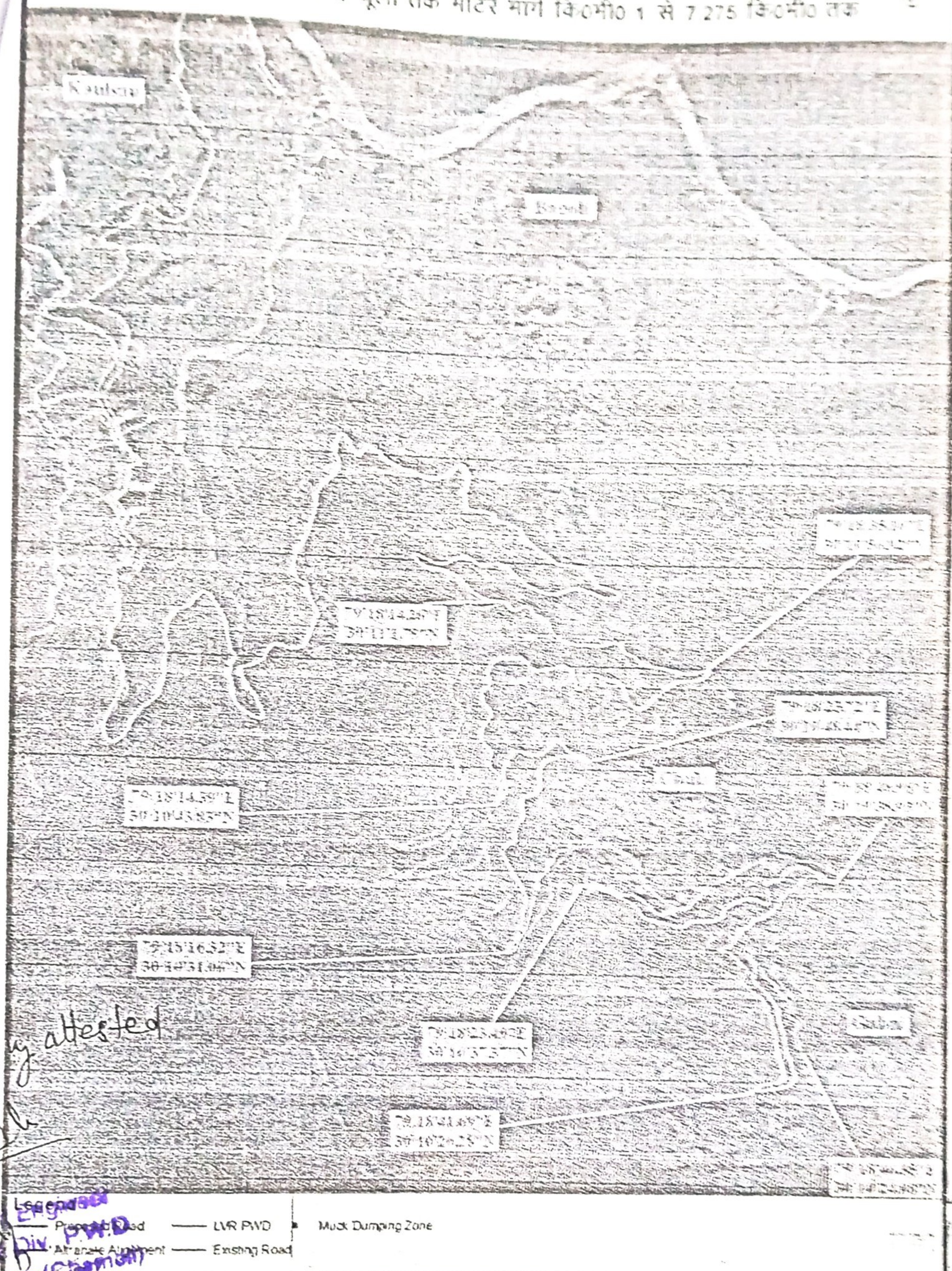

Photo copy attested

A E
PMGSY
DIV PWD
Karanprayag

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div. P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
नारायणबगड

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0

उप जिलाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी0एम0जी0एस0वाई0

D.F.O.

डिजिटल मैप – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के गैरसैण विकास खण्ड में बँगोली से चूला तक मोटर मार्ग कि0मी0 1 से 7.275 कि0मी0 तक

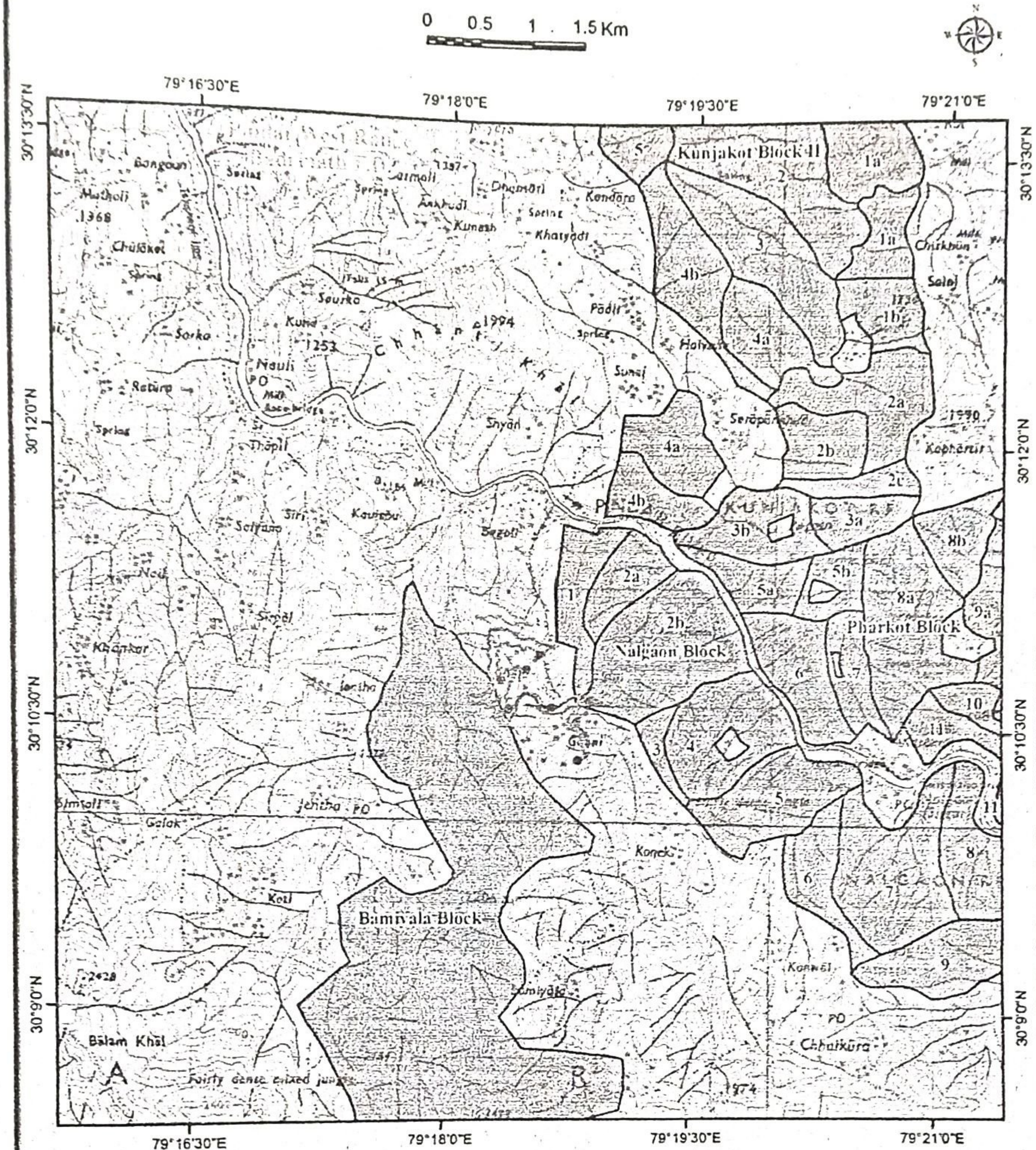

Legend

Proposed Road

Altranate Aligement

LVR PWD

Existing Road

Muck Dumping Zone

Reserve Forest Area

Reserve Forest Boundary

Photo copy attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Dn., P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड–कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग
पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड–कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
नारायणबगड़

उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग (चमोली)

(7)

Attachment 16

Annexure I

FORM I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. Dated 21/5 2/15

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.118 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Bagoli to Chula Motor road under PMGSY in Chamoli District falls within jurisdiction of Chula and Gawani villages in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.118 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23.(A).
(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

जिलाधिकारी
District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

Photo copy attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div. P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

Annexure -23-(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on ...21/02/15..... at 2:00 P.M at Chamoli in which the application claiming rights in Chula and Gawani villages in Karanprayag Tehsil, area measuring 2.118 Hectares for the Construction of Bagoli to Chula Motor road in Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

जिलाधिकारी
चमोली
District Magistrate
Chamoli

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

"प्रपत्र–23–2"

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली–चूला मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारीअनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– कर्णप्रयाग

उपखण्ड– कर्णप्रयाग/ परिक्षेत्र के अन्तर्गत बगोली–चूला मोटर मार्ग हेतु सिविल वन भूमि– 2.118 है0 कुल 2.118 है0 का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील– [illegible]/कर्णप्रयाग की दिनांक 31/12-14/~~2015~~ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री........................ उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है–

1	श्रीमती कुसुम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री सुरेन्द्र लाल	उपप्रभागीय वनाधिकारी/ वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री मोहन सिंह भण्डारी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव
4	श्री देवेन्द्र कुमार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि बगोली–चूला मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.118 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

[illegible]
[illegible]
[illegible] कर्णप्रयाग (चमोली)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग (गोपेश्वर) द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/ आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बगोली–चूला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.118 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद– चमोली।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद– चमोली।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत .... मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।
दिनांक 31-12-14 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद– चमोली।

1	श्रीमती कुसुम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0
2	श्री - सुरेन्द्रलाल	उपप्रभागीय वनाधिकारी / वन क्षेत्रधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी गौचर उप वन प्रभाग
3	श्री मोहनसिंह नेगी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्री महिपाल सिंह नेगी ग्राम प्रधान	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत	सदस्य	
5	" मातवर सिंह	" " " "	सदस्य	
6	श्री देवेन्द्र कुमार	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	
7	श्रीमती सुशीला देवी	" " " " "	"	सुशीला देवी

क्षेत्र पंचायत सदस्य
विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली)

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Dw., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बजोली चूला मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चूला

तहसील कर्णप्रयाग, जनपद - चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में बजोली- चूला मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सिविल वन भूमि 2.118 है0 कुल 2.118 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ......चूला......... द्वारा दिनांक 17/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चूला ... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.118 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत ... ह0 ... दि0 ...... वि0 ख0 कर्णप्रयाग

[illegible]
क्षेत्र पंचायत बजोली वार्ड
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photo copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

ग्राम सभा	ग्राम सभा
1	2
गबनी	चूला
[signature]	प्रधान ग्राम पंचायत चूला ह० Gmdh दि० वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)
[signature]	प्रधान ग्राम पंचायत ह० Gmdh दि० वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमुख
क्षेत्र पंचायत बमोली गाड़
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 23/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– [illegible]

क्र.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दरवान सिंह	दरवान सिंह
2	बिराली देवी	[thumb impression]
3	दर्शन सिंह	दर्शन सिंह
4	आदू सिंह	आदू सिंह
5	अवतार सिंह	अवतार सिंह
6	जोत सिंह	जोत सिंह
7	श्री पडा सिंह	
8	अवतार सिंह	Rawat
9	अब्बल सिंह	अब्बल सिंह
10	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
11	अवतार सिंह	अवतार सिंह
12	हयात सिंह	Hayat Singh
13	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
14	गंगा देवी	गंगा देवी
15	दर्शन सिंह	D.S. Rawat
16	रघुवीर सिंह	Ragu[illegible]
17	गजे सिंह	[illegible]
18	नरेन्द्र सिंह	Rawat
19	नन्दन सिंह	Nandan
20	मगन सिंह	[illegible]
21	राजेन्द्र सिंह	Raj[illegible]
22	दलबीर सिंह	[illegible]
23	किशन सिंह	किशन सिंह
24	मनवर सिंह	मनवर सिंह
25	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
26	कमला देवी	कमला देवी

Photo copy Attested

सदस्य
क्षेत्र पंचायत, [illegible]
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह० [illegible]
दि० ______
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 23/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।
ग्राम पंचायत का नाम- —कुन्ना

क.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
27	गजपालसिंह	
28	राजेन्द्रसिंह	
29	त्रिभुपालसिंह	
30	सुरेन्द्र सिंह	
31	अनिलसिंह	
32	राजपालसिंह	
33	ज्ञानसिंह	
34	प्रताप बीर सिंह	
35	दिगम्बरसिंह	
36	चन्द्र सिंह	
37	गणेशी देवी	
38	खुशालसिंह	
39	दयालसिंह	
40	पुष्कर सिंह	
41	मुरली लाल	
42	मनोरी लाल	
43	रामबीर सिंह	
44	हिम्मतसिंह	
45	प्रतापसिंह	
46	मनवरसिंह	
47	मोहनसिंह	
48	विक्रमसिंह	
49	मनोजसिंह	
50	विजेन्द्र लाल (देवेन्द्र कुमार)	
51	कमल लाल	
52	कुन्दी लाल	

Photo Copy Attested

सरपंच
क्षेत्र पंचायत कनोली ...
जि0उ0 ...

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

प्रपत्र– 23.1

23/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

पंचायत का नाम:— [illegible]

क्र.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
53	कुन्दनी लाल	सुरेश कुमार
54	दिपक लाल	दीपक लाल
55	सजनी लाल	मनीता देवी
56	मोहनसिंह	[illegible]
57	गोपालसिंह	गोपालसिंह
58	देब सिंह	[illegible]
59	गोपालसिंह	[illegible]
60	रामसिंह	[illegible]
61	गोविन्दसिंह	[illegible]
61	कर्णसिंह	करणसिंह
62	रतनसिंह	[illegible]
63	रवीमसिंह	[illegible]
64	कुन्दी लाल	कुन्दीलाल
65	भूपी लाल	[illegible]
66	नारायण सिंह	नारायणसिंह

Photo copy Attested

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बमोली कट्टे
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div. P.W.D.
Karanprayag (Chamoli)

प्रधान ग्राम पंचायत
ह० —
दि० —
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बगोली–नूला मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नामः–

तहसील कर्णप्रयाग, जनपद – चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में बगोली–धुणा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु सिविल वन भूमि– 2.118 है0 कुल 2.118 है0 का ग्राम्य विकास विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......गडनी..........द्वारा दिनांक 23/12/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...गडनी..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.118 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं हैं।

ह0/
ग्राम सचिव

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बगोली ...
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Div., P.W.D
Karanprayag (Chamoli)

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 23/12/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नाम:– गबनी

क.सं.	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1–	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
2–	सावित्री देवी	सावित्री देवी
3–	राजेन्द्र सिंह	[signature]
4–	गजे सिंह	गजे सिंह
5–	मनवीर सिंह	
6–	विरेन्द्र सिंह	विरेन्द्र सिंह
7–	भागरथी देवी	भागरथी देवी
8–	कुंवर सिंह	[signature]
9–	लक्ष्मण सिंह	[signature]
10–	भूमा देवी	
11–	राम सिंह	Ram Singh
12–	धन सिंह	धन सिंह
13–	जमन सिंह	जमन सिंह
14–	करण सिंह	करण सिंह
15–	शोबती देवी	[illegible] देवी
16–	किशोर सिंह	K S Rawat
17–	नरेन्द्र सिंह	N Rawat
18–	मगनी देवी	मगनी देवी
19–	गौरी देवी	गौरी देवी
20–	कुन्ती देवी	[signature]
21–	हीरा सिंह	हीरा सिंह
22–	पदम सिंह	P S Rawat
23–	सतेन्द्र सिंह	सतेन्द्र सिंह
24–	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र
25–	हरेन्द्र सिंह	H.S. Rawat
26–	बलवन्त सिंह	

Photo copy Attested

[signature]

सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible] वार्ड
वि०ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

[signature]
Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. [illegible] P.W.D
Karanprayag (Chamoli)